छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 01/छगविस/पुस्त/2014 रायपुर, दिनांक 12.12.2014

पुस्तकें क्रय करने हेतु निविदा सूचना

विधान सभा पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के प्रकाशकों, वितरकों एवं प्रदायकर्ताओं से सामान्य पुस्तकें, स्वप्रकाशन, इनसाइक्लोपिडिया, शब्दकोश, नियम कानून, शासकीय प्रकाशन, विदेशी प्रकाशन, पुस्तकों के सी.डी. रोम संस्करण इत्यादि के क्रय हेतु पुस्तकों में अंकित मूल्य पर अधिकतम छूट के प्रतिशत के साथ सीलबंद निविदाऍं आमंत्रित हैं। निविदा प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को पंजीकृत डाक से या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। निविदा संबंधी विवरण विधान सभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in एवं विधान सभा सचिवालय, रायपुर से दिनांक 05.01.2015 तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

विधान सभा में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 09.01.2015 समय 3:00 बजे तक।

संचालक
छत्तीसगढ़ विधान सभा
रायपुर

—:: निविदा की शर्तें ::—

(1) निविदा के साथ रूपये 50,000/— (पचास हजार रूपये) की सुरक्षा निधि प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ विधान सभा, रायपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा जमा करना होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जायेगी।

(2) पुस्तक प्रदायकर्ता हेतु चयनित न होने वाली निविदाकारों को उनकी सुरक्षा निधि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत लौटा दी जायेगी।

(3) निविदाकार को पुस्तक क्रयादेश के अनुसार चाही गई समस्त पुस्तकें प्रदाय करना बंधनकारी होगा, अन्यथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

(4) सीलबंद लिफाफे पर निविदा क्रमांक 01/छगविस/पुस्त/2014 अंकित करते हुए फर्म का नाम और पता उल्लेख करेंगे।
उक्त बड़े लिफाफे में निम्नानुसार लिफाफे रखेंगे :—
(अ) लिफाफे पर सुरक्षानिधि अंकित करते हुए लिफाफे में सुरक्षानिधि का बैंक ड्राफ्ट, अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र तथा अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
(ब) पुस्तकों पर प्रस्तावित अधिकतम छूट के प्रतिशत के विवरण का लिफाफा—निविदा शर्तों के साथ संलग्न फार्म में ही प्रस्तावित अधिकतम छूट का प्रतिशत अंकित कर संलग्न करें।

(5) निविदाकार को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा।

(6) निविदा रजिस्टर्ड डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर नियत तिथि तक विधान सभा सचिवालय में जमा की जा सकती है।

(7) निविदाकार समस्त कर, पैकिंग—फारवर्डिंग चार्जेस सहित छूट की दर प्रस्तुत करें।

(8) निविदाकार अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र, अद्यतन इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें।

(9) निविदाकार पुस्तकों के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट का विवरण निर्धारित सारणी में अंकों में अवश्य लिखें जिसमें कोई सुधार (Overwriting) न किया गया हो।

(10) निविदाकार के निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जायेगा कि उसे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

(11) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा को पुस्तक क्रय की शर्तों में छूट देने, परिवर्तन करने, किसी प्रस्ताव को अमान्य करने, किसी गैर पंजीबद्ध पुस्तक विक्रेता से पुस्तक क्रय करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(12) किसी भी विवाद के निपटारे या नियमों के निर्वचन का अधिकार माननीय अध्यक्ष को होगा।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

निविदाकार अधिकतम छूट की जानकारी निम्न सारणी में दें :–

क्र.	पुस्तकों का प्रकार	अधिकतम छूट की दरें (प्रतिशत में)
1.	सामान्य पुस्तकें	
2.	स्वप्रकाशन / निजी प्रकाशन	
3.	इनसाइक्लोपिडिया	
4.	शब्दकोश	
5.	विधिक प्रकाशन	
6.	शासकीय प्रकाशन	
7.	विदेशी प्रकाशन	
8.	स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रकाशन	
9.	पुस्तकों का सी.डी. रोम संस्करण	
10.	जर्नल्स बैक वाल्युम	

टीप– छत्तीसगढ़ विधान सभा पुस्तकालय में स्तरीय प्रकाशन की पुस्तकें ही क्रय की जाती हैं, अतः पुस्तकों के स्तरीय प्रकाशन को ध्यान में रखते हुए छूट का प्रतिशत अंकित करें।

स्थान : ....

दिनांक : ....

....

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम ....

फर्म की मुद्रा ....

दूरभाष क्र. / मोबाइल नं. ....